# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 145 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02280**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''सिया रेसीडेन्सी'', प्रमोटर–श्री विजय लक्ष्मी शर्मा, पता–संतोषी मंदिर के पास, टिकरापारा, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–''सिया रेसीडेन्सी'' पता–टिकरापारा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| **18/05/2026** | – प्रकरण प्रस्तुत।<br>– प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट पंजीयन की वैधता तिथि 31.12.2018 को समाप्त हो जाने के पश्चात् अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण के लिये आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। प्राधिकरण द्वारा दिनाँक 27.05.2024 को अनावेदक के विरूद्ध रूपये 5,000/– की शास्ति अधिरोपित की गई थी। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 13.04.2026 को प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के पूर्णता दिनाँक तक नियमितीकरण के लिये प्राधिकरण के समक्ष आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।<br>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।<br>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे।<br><br>सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य<br>सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष | |